

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी (प्राचार्य)  
दूरस्थ शिक्षा, केन्द्र क्रमांक 01 से 149 तक  
डाईट/बी.टी.आई./अशास.प्रशि.संस्थाएं/शा.उ.मा.वि. ....  
जिला .....

विषय:-दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी.एड.प्रशिक्षण अंतर्गत व्यावहारिक मूल्यांकन  
संबंधी निर्देश।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत डी.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मूल्यांकन योजना के संबंध में केन्द्र प्रभारी/समन्वयकों/स्रोत व्यक्तियों को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी विस्तृत योजना सभी अध्ययन केन्द्रों, स्रोत व्यक्तियों एवं समस्त प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई "पाठ्यक्रम एवं विद्यालयीन कार्यों पर चिंतन एवं मनन मार्गदर्शिका" में दी गई है। संपेक्ष में मूल्यांकन योजना निम्नानुसार है-

विवरण	निर्धारित अंक
1. सैद्धांतिक परीक्षा	
a. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली 6 विषयों में लिखित परीक्षा	480
b. सत्रीय कार्य	120
2. व्यावहारिक मूल्यांकन	
a. शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम	150
b. प्रोजेक्ट कार्य	150
<b>कुल अंक</b>	<b>900</b>

उपरोक्त मूल्यांकन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा (480 अंक) के अतिरिक्त शेष मूल्यांकन कार्य केन्द्र में ही संपन्न किया जाना है। इसमें से सत्रीय कार्य (120 अंक) एवं प्रोजेक्ट कार्य (150 अंक) का मूल्यांकन, केन्द्र में संबंधित विषय के स्रोत व्यक्तियों द्वारा सत्रीय कार्य (Assignment) व प्रोजेक्ट प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से निर्धारित समय में जमा कराकर क्रमशः किया जाता रहा है एवं एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दिए निर्देश एवं फार्मेट अनुसार इसके अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि केन्द्रों द्वारा की जा रही है।

व्यावहारिक मूल्यांकन के अंतर्गत केन्द्र में किए जाने वाले "शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम" (निर्धारित अंक 150) के मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जा रहे हैं—

- इस कार्यक्रम के 150 अंकों का विभाजन इस प्रकार है जो मार्गदर्शिका में दी गई है—
 

प्रधान अध्यापक द्वारा मूल्यांकन	=	50 अंक
अध्ययन केन्द्रों के पर्यवेक्षक (मेन्टर) द्वारा मूल्यांकन	=	50 अंक
शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर कार्यक्रम में किए कार्य के आधार पर मूल्यांकन	=	50 अंक
- पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकन के अंतर्गत संबंधित पर्यवेक्षक (मेन्टर) स्वयं को आबंटित किए गए प्रशिक्षार्थियों का उनके प्रस्तुतीकरण, 60 दिनों के शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम तथा बच्चों के साथ किए गए कार्यों के आधार पर करेंगे। इसके लिए मूल्यांकन के बिन्दु व बिन्दुवार अंक विभाजन मार्गदर्शिका में मूल्यांकन पत्रक-2 के अंतर्गत दिए गए हैं। मेन्टर संबंधित वर्ष की मार्गदर्शिका से इसका अवलोकन कर इसी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। शेष दोनों प्रकार के मूल्यांकन प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन एवं केन्द्र स्तर पर मूल्यांकन के लिए केन्द्र में समिति गठित की जावेगी। इस हेतु केन्द्र में 03 से 05 समितियाँ गठित करें तथा प्रत्येक को दर्ज संख्या के आधार पर बराबर भागों में बांटकर प्रशिक्षार्थी आबंटित कर दें।
- प्रत्येक समिति तीन सदस्यीय होगी जिसमें एक अध्यक्ष व दो सदस्य होंगे। केन्द्र प्रभारी, केन्द्र समन्वयक व सहायक समन्वयक एक-एक समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक समिति के शेष दो सदस्य स्रोत व्यक्तियों में से होंगे। यदि तीन से अधिक समितियाँ बनती हैं तो शेष समितियों के लिए वरिष्ठ स्रोत व्यक्तियों को अध्यक्ष नामित करें। केन्द्र प्रभारी, केन्द्र समन्वयक से परामर्श कर निर्देशानुसार समिति गठित करेंगे।
- प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक संबंधित वर्ष की मार्गदर्शिका के मूल्यांकन पत्रक-1 में दिए गए मूल्यांकन के बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग के आधार पर समिति द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा तथा ग्रेड को अंकों में परिवर्तित किया जावेगा। यह ध्यान रहे कि प्रशिक्षार्थी के कार्यों को देखते हुए समिति प्रधानाध्यापक द्वारा की गई ग्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षार्थी के योग्यता अनुरूप अंक दे सकती है। इसके लिए पर्यवेक्षक (मेन्टर) की राय को विशेष महत्व दिया जावे।
- शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर मूल्यांकन, प्रशिक्षार्थियों द्वारा शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम में किए गए कार्यों के प्रस्तुतीकरण एवं तैयार किए गए रिकार्डों के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए समिति प्रशिक्षार्थी द्वारा निर्मित दैनिक शिक्षण योजना व डायरी पर प्रशिक्षार्थी से चर्चा, बच्चों के बारे में उनकी समझ तथा उनके द्वारा शाला में किए गए कार्यों के प्रस्तुतीकरण, उनके द्वारा बनाई गई समग्र रिपोर्ट व भरे गए विभिन्न प्रपत्रों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को आधार बनाकर मूल्यांकन करेगी। इस हेतु संबंधित वर्ष की मार्गदर्शिका में दिए मूल्यांकन पत्रक-3 का अवलोकन करें जिसके अनुसार 50 अंकों का बिन्दुवार विभाजन किया गया है।
- यह ध्यान रखें कि "शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम" के मूल्यांकन अंतर्गत प्रधान अध्यापक द्वारा मूल्यांकन (50 अंक), अध्ययन केन्द्रों के पर्यवेक्षक (मेन्टर) द्वारा

12

मूल्यांकन (50 अंक) एवं अध्ययन केन्द्र स्तर पर मूल्यांकन (50 अंक) में पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- अध्ययन केन्द्रों में निर्देशानुसार समितियाँ गठित कर मूल्यांकन का कार्य 15 अप्रैल 2014 से 05 मई 2014 तक संपन्न कर लेवें तथा एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दिनांक 12 मई 2014 तक दिए गए फार्मेट में निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्यतः करें। साथ ही केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में अंकों का विवरण सीलबंद लिफाफे में दो प्रति में सुरक्षित रखें व छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मांगे जाने पर उनके निर्देशानुसार लिफाफों को उपलब्ध करावें।
- समिति के प्रत्येक सदस्य मार्गदर्शिका में दिए मूल्यांकन योजना, निर्देशों व मूल्यांकन के बिन्दुओं का भलीभांति अध्ययन कर लेवें तथा आपस में बैठकर मूल्यांकन के पूर्व चर्चा कर लेवें। मूल्यांकन का कार्य दिए गए समय सीमा में पूर्ण गोपनीयता के साथ संपन्न करें।

**विशेष :-** शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्य हेतु मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जावेगा तथा किसी प्रकार की राशि नहीं दी जायेगी।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

दिनांक

पृष्ठा.क्र./शिक्षक शिक्षा/30-2डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/2013-14

**प्रतिलिपि :-**

सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, पेंशनबाड़ा, रायपुर को सूचनार्थ।

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर